अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

115/2025/245 शंकरलाल / रामकिशोरी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शौकिन्द लाल गुर्जर — श्री सुखराम जाट - 3	
27.03.2025	शंकरलाल बनाम रामकिशोरी व अन्य (2025 / 115) पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 25.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के निर्णय दिनांक 23.10.2024 के आड में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 09.02.2025 आराजी पर दखलअन्दाजी करने लगे कहने लगे की न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय कर दिया है, तब दिनांक 09.02.2025 को अभिभाषक से इस बाबत सम्पर्क किया, तब अभिभाषक ने बताया की निर्णय हो चुका है, इस बाबत सूचना प्रार्थी को अभिभाषक अवगत नहीं करायी गयी, तत्पश्चात अभिभाषक ने उक्त निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की सलाह प्रदान की, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 की नकल बाबत आवेदन दिनांक 10.02.2025 को प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 11.02.2025 को प्राप्त कर फिस व खर्चा की व्यवस्था कर अपील बिना अविलम्ब पेश की जा रही है, जिसे पेश करने में हुई उपरोक्त सद्भाविक देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उपरोक्त कारणों की सद्भाविक देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन विलम्ब का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 23.10.2024 की प्रारंभ से ही पहले दिन से ही पूर्ण जानकारी है इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु अत्यधिक विलंब से दिनांक 10.2.2025 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं उक्त प्रकरण के प्रति पूर्णतया गैर जिम्मेदारान एवं लापरवाह है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर लगभग साढे तीन माह पश्चात उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2024 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है वह उक्त वर्णित समस्त तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के अंतर्गत दिनांक 4.12.2024 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2024 को ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट को थी। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर विलंब के संबंध मं किसी भी प्रकार का कोई उचित कारण एवं आधार नहीं दर्शाया गया है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट का धारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

115/2025/225 शंकरलाल / राजकिशोरी वगैरह

लगातार....

5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं अपीलांट की मूल अपील खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करे।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा प्रार्थना पत्र, जवाब एवं अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन सद्भाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेंट ने परिक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जबकि प्रकरण में लिप्त आराजी पंजीकृत हक त्यागपत्र से अपीलांट के पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई जो प्रकरण का सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जो धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया, जब तक विधिक दस्तावेज मूल खातेदार के द्वारा निष्पादन किया गया, जो उनकी स्वअर्जित आराजी होने से एवं न्यायालय प्रकरण मात्र कानून का दुरूपयोग का आराजी हडपने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया जबकि प्रकरण में लिप्त आराजी की जानकारी होकर सुनियोजित तरीक उक्त आराजी बावत बिना विधिक अधिकार के अपीलांट की स्वअर्जित आराजी को समाहित कर पेश किया गया जो दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होने के उपरांत गलत आधार प्रस्तुत किया, जो प्रकरण संधारण योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 की पालना व प्रभाव की क्रियान्विति ताफैसला स्थगित नहीं फरमाई गई तो प्रार्थी को भारी आर्थिक मानसिक व अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, जिसकी कमी पूर्ति कतई संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 की पालना व प्रभाव की क्रियान्विति ताफैसला स्थगित फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 की पालना व प्रभाव की क्रियान्विति ताफैसला स्थगित नहीं की गई तो प्रार्थी की आर्थिक मानसिक एवं अपूर्तनीय क्षति कारित हो। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर प्रारंभ से आज तक कभी भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं रहा है जबकि रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरंतर व लगातार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रेस्पोडेंट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। यह कथन गलत है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हो। प्रार्थी स्वयं उक्त कथनों को ठोस साक्ष्य से सिद्ध करे। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर स्वयं के स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि किन आधारों पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन के विंदु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस एवं उचित आधार नहीं दर्शाया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

15/2025/225 शंकरलाल / रामकिशोरी वगैरह

लगातार...

आराजी पर प्रारंभ से आज तक कभी भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं रहा है जबकि रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा, काश्त एवं उपयोग उपभोग निरंतर व लगातार चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतर्गत प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट आधारों पर पेश किया गया है। प्रार्थी ने स्वयं के स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन बाबत किसी भी प्रकार का तथ्य एवं उचित कारण तथा आधार अंकित नहीं किया है। केवल मात्र औपचारिक रूप से केवल मात्र औपचारिक तथ्यों के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है जबकि स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतर्गत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिंदु के तीनों बिंदुओं के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्थगन प्रार्थना पत्र में स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आधारों पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों दस्तावेजों एवं न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र केवियटकर्ता/रेस्पोडेंट अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध विशेष खर्चे सहित खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में पारित करे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अपने समर्थन में 2008 (2)आर0आर0टी0 पेज 850, 2014 (1) आर0आर0टी0 पेज 509, 2023 (1) पेज 227 के न्यायिक दृष्टांत पेश कियें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2024 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसमें **अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को प्रकरण का जवाब आने तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये है।** जो कि एक अंतिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है। न्यायालय हाजा का इस संबंध में यह मत है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर